

प्रवर्तन निदेशक

बनाम

एम. गोपाल रेड्डी और अन्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 534)

24 फरवरी, 2023

[न्यायमूर्तिगण एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 -एस. 45-आवेदन यू/एस पर लागू होता है।⁴³⁸, सी. आर. पी. सी.-आयोजित:एक बार जब 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध किया जाता है, तो एस के अंतर्निहित सिद्धांत और कठोरता।⁴⁵ ट्रिगर होना चाहिए, हालाँकि एप्लिकेशन यू/एस है।⁴³⁸, सी. आर. पी. सी.-वर्तमान मामले में, 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ जांच चल रही थी।⁴⁵ 2002 के अधिनियम को आकर्षित किया जाएगा-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में कहा गया है कि एस के प्रावधान।⁴⁵ अग्रिम जमानत आवेदनों पर लागू नहीं होगा।⁴³⁸, सी. आर. पी. सी. और प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देना अस्थिर है-इसके अलावा, आक्षेपित आदेश गुण-दोष पर भी गलत है, जिसे अपास्त करना दिया गया है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.438।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.438-आर्थिक अपराधों के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग-आयोजित:समाज पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक अपराधों के मामले में, न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए।⁴³⁸.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** प्रत्यर्थी संख्या **1** धन शोधन निवारण अधिनियम, **2002** की धारा **3** के तहत धन शोधन के अपराध के लिए ईडी द्वारा शिकायत/मामले के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका कर रहा है और उक्त अधिनियम की धारा **4** के तहत दंडनीय है। एफ. आई. आर. नं. **12/2019** के संबंध में निर्धारित अपराध के लिए प्रत्यर्थी नं. **1** के खिलाफ जांच चल रही है। एक बार जब अधिनियम, **2002** के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी संख्या **1** के खिलाफ जांच/जांच चल रही है, तो अधिनियम, **2002** की धारा **45** की कठोरता आकर्षित होगी। विवादित निर्णय

और आदेश द्वारा, अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम, **2002** की धारा **45** के प्रावधान ए नहीं होंगे।

धारा **438 Cr.PC** के तहत अग्रिम जमानत आवेदनों/कार्यवाही के संबंध में लागू। जिसके लिए उच्च न्यायालय ने निकेश के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

ताराचंद शाह।डॉ. वी. सी. मोहन के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया कि यह गलत समझ है कि निकेश ताराचंद शाह के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम, **2002** की धारा **45** की कठोरता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **438** के तहत आवेदन पर लागू नहीं होगी। पीसी। डॉ. वी. सी. मोहन के मामले में, जिसमें निकेश ताराचंद शाह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को सेवा में लगाया गया था, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि यह कहना एक बात है कि सामान्य कानून के तहत अपराधों के लिए अधिनियम, **2002** की धारा **45** आकर्षित नहीं होगी, लेकिन एक बार अधिनियम, **2002** के तहत अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध किया जाता है, तो अधिनियम की धारा **45** के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को ट्रिगर किया जाना चाहिए-हालांकि आवेदन धारा **438 Cr.PC** के तहत है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि अधिनियम, **2002** की धारा **45** के प्रावधान धारा **438 Cr.PC** के तहत एक आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे। एक बार जब अधिनियम, **2002** की धारा **45** के तहत कठोरता लागू हो जाएगी तो प्रत्यर्थी संख्या **1** को अग्रिम जमानत देने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है। [अनुच्छेद **5** और **5.1**] [86-जी. एच.; 87-ए. बी.; 88-बी. जी.] **1.2** अन्यथा गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं. **1** गलत और अस्थिर है। प्रत्यर्थी संख्या **1** को अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने धन शोधन के कथित अपराधों और अधिनियम, **2002** के तहत अपराधों के आरोपों की प्रकृति और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि ये धन शोधन के बहुत गंभीर आरोप हैं जिनकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। आर्थिक अपराधों के मामले में, जिनका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, न्यायालय को **Cr.PC** की धारा **438** के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने में बहुत धीमी गति से होना चाहिए। [पैरा **6** और **6.3**] [88-जी-एच; 89-ए, एच; 90-ए] ए

1.3 अधिनियम, **2002** की धारा **45** की कठोरता धारा **438 Cr.PC** के तहत आवेदन के संबंध में भी लागू होगी और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या **1** को अग्रिम जमानत देने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है। [पैरा **7**] [90-बी]

निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत का उनोइन और अन्न।

(2018) 11 एससीसी 1:[2017] 12 एस. सी. आर. 358; सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय बनाम। डॉ. वी. सी. मोहन 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 452; पी. चिदंबरम बनाम।

12 एस. सी. आर. 172-पर निर्भर।

वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम। सीबीआई (2013) 7 एससीसी 439 - संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[2017] 12 एससीआर 358 संदर्भित किया गया है पैरा **2.7**

[2019] 12 एससीआर 172 पर भरोसा किया गया पैरा **3.7**

(2013) 7 एस. सी. सी. 439 निर्दिष्ट है पैरा **3.7**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार-2023 की आपराधिक अपील No.534।

2021 की आपराधिक याचिका No.1148 में हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के दिनांक 02.03.2021 के निर्णय और आदेश से।के. एम. नटराज, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, शरत नांबियार, एस. ए. हसीब, मुकुल सिंह, दीपबली दत्ता, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, राजन कुमार चौरसिया, मुकुल सिंह, नकुल चेंगपा के. के., अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

विकास सिंह, अमन लेखी, वरिष्ठ अधिवक्तागण , संतोष कुमार त्रिपाठी, सिद्धार्थ कृष्ण द्विवेदी, सुश्री दीपिका कालिया, आदित्य कौल, विजय अग्रवाल, वरुण के. चोपड़ा, युगांत शर्मा, तुषार, मेहूल शर्मा, एम /एस. वी. के. सी. विधि कार्यालय, अनिकेत सेठ, उज्जवल सिन्हा, ऋत्विज ऋषभ, स्नेहिल सोनम, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 1148/2021 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया है और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अग्रिम जमानत दे दी है और एफ. संख्या 1 के संबंध में उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (इसके बाद ईडी के रूप में संदर्भित), भारत सरकार, हैदराबाद की फाइल पर ईसीआईआर/एचवाईजेडओ/36,2020 दिनांक 15.12.2020, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम, 2002 के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दर्ज किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय था, प्रवर्तन निदेशालय ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. आर्थिक अपराध शाखा (ई. ओ. डब्ल्यू.), भोपाल द्वारा एफ़. आई. आर. सं. 12/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से एक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी जिसमें उक्त घोटाले में 20 व्यक्तियों/कंपनियों को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। मैसर्स मैक्स मंटेना माइक्रो जेवी, हैदराबाद उनमें से एक था।

2.1 एफ़. आई. आर. के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार का ई-खरीद पोर्टल एम. पी. एस. ई. डी. सी. द्वारा चलाया जा रहा था। मैसर्स एंटारेस सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलोर और मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी. सी. एस.) को उक्त पोर्टल के रखरखाव और संचालन के लिए 5 साल की अवधि के लिए अनुबंध दिया गया था। एम. पी. एस. ई. डी. सी. के कुछ अधिकारियों ने मैसर्स ओस्मो आई. टी. सॉल्यूशंस और मैसर्स एंटारेस सिस्टम्स लिमिटेड जैसी पोर्टलों के रखरखाव और परीक्षण के लिए सौंपी गई कंपनियों के साथ मिलकर अवैध रूप से ई-टेंडर पोर्टल का उपयोग किया और बड़ी मात्रा में रिश्त के लिए कुछ निजी बोलीदाताओं के अनुरूप बोली प्रक्रिया में धांधली की।

2.2 जाँच एजेंसी के अनुसार, पुलिस द्वारा प्रारंभिक जाँच ने स्थापित किया कि विभिन्न ई-निविदाओं को अवैध रूप से प्राप्त किया गया था और कुछ कंपनियों की बोलियों को अवैध रूप से उन कंपनियों की बोलियों को सबसे कम बनाने के लिए हेरफेर किया गया था।

2.3 ई. ओ. डब्ल्यू. भोपाल द्वारा दाखिल किए गए पहले प्रारंभिक आरोप पत्र में उल्लिखित निविदाओं के अलावा, संख्या 91,93,94 (जल संसाधन विभाग); पीडब्ल्यूडी की संख्या 49985 और 49982 के माध्यम से 2 निविदाएं; एम. पी. आर. डी. सी. की निविदा संख्या 49813, निविदा संख्या 786; और निविदा संख्या 10030 और 10044 के माध्यम से, यह संदेह था कि कई अन्य निविदाओं में भी इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करके छेड़छाड़ की गई है। मैसर्स मंटेना ग्रुप ऑफ कंपनीज, हैदराबाद पर इस ई-टेंडर घोटाले का एक प्रमुख लाभार्थी होने का संदेह था। ईओडब्ल्यू आरोप पत्र के अनुसार, मैन्टेना समूह का एक संयुक्त उद्यम जिसे मैसर्स मैक्स मैन्टेना माइक्रो जेवी के रूप में जाना जाता है, एक छेड़छाड़ की गई ई-निविदा संख्या 10030 का प्रत्यक्ष लाभार्थी है, जिसकी कीमत रु। 1020 करोड़।

2.4 जाँच एजेंसी के अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 420, 471 और भ्रष्टाचार निवारण (पी. सी.) अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए उक्त एफ़. आई. आर. की जाँच चल रही है और उक्त अपराध अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं। ईडी ने फाइल नं. ईसीआईआर/हाइजो/36/2020।

2.5 ईडी के अनुसार, सबूत इकट्ठा करने के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया था। तदनुसार, मैसर्स मंटेना कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, मैसर्स एंटारेस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ओस्मो आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अर्नी इंफ्रा आदि के प्रवर्तकों के आवासों और कार्यालयों सहित 18 परिसरों की तलाशी ली गई। ई. डी. द्वारा अब तक की गई जाँच से यह स्पष्ट है कि हैदराबाद स्थित कई बुनियादी ढांचा कंपनियों द्वारा कुछ सरकारी अधिकारियों और आई. टी. प्रबंधन कंपनियों के साथ मिलकर

अवैध रूप से ई-निविदाएँ जीतने के लिए एक व्यवस्थित साजिश की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया। इसके अलावा हवाला चैनलों का उपयोग करके करोड़ों रुपये की बड़ी मात्रा में रिश्वत का आदान-प्रदान किया गया है। विकास गतिविधियों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग व्यक्तिगत अवैध संवर्धन और अवैध रिश्वत भुगतान के लिए किया गया है। अपीलार्थी विभाग ने इन्फ्रा कंपनियों द्वारा फर्जी और अधिक बिलिंग के माध्यम से धन की खोज और काले धन के सृजन के साक्ष्य बरामद किए हैं।

2.6 उस प्रत्यर्थी नंबर 1 को, जो प्रासंगिक समय में मध्य प्रदेश राज्य में जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, ईडी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान मेसर्स मंटेना कंस्ट्रक्शन को निविदाओं के आवंटन में अचानक आई तेजी की व्याख्या करने के लिए तलब किया गया था।

2.7 अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध के लिए ईडी मामले के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने धारा 438 Cr.PC के तहत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत कठोरता/प्रतिबंध पर विचार किए बिना और यह देखते हुए कि इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार निकेश ताराचंद शाह बनाम के मामले में। भारत और ए. एन. आर. का एकीकरण। (2018) 11 एस. सी. सी. 1, अधिनियम, 2002 की धारा 45 के प्रावधान धारा 438 Cr.PC कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन को मंजूरी दे दी है और निर्देश दिया है कि ईडी मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

2.8 ईडी मामले में प्रत्यर्थी नंबर 1 को अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. ईडी-अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान एएसजी श्री के. एम. नटराज ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2002 के तहत ईडी मामले के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति देने और अग्रिम जमानत देने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन करने में भौतिक रूप से गलती की है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 के प्रावधान धारा 438 Cr.PC कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके लिए उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर भरोसा करने में गलती की है।

निकेश ताराचंद शाह (ऊपर) के मामले में न्यायालय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में सहायक के मामले में। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय बनाम। डॉ. वी. सी. मोहन (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 452) -

(आपराधिक अपील सं. 21/2022), इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निकेश ताराचंद शाह (ऊपर) के मामले में निर्णय का गलत अध्ययन है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 के प्रावधान अग्रिम जमानत की कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ. वी. सी. मोहन (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के संबंध में लागू होगी और अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता शुरू हो जाएगी-हालांकि आवेदन Cr.PC की धारा 438 के तहत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश इसके निर्णय के बिल्कुल विपरीत है।

डॉ. वी. सी. मोहन (ऊपर) के मामले में न्यायालय।

3.2 ई. डी. की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री के. एम. नटराज ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत देते समय भी उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित अपराधों की गंभीरता की उचित रूप से सराहना और/या विचार नहीं विद्वान है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया है, जैसे कि उच्च न्यायालय आई. पी. सी. के तहत सामान्य अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत के अनुरोध पर विचार कर रहा था।

3.3 विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान गया है कि जाँच के दौरान, ईडी की जाँच ने स्थापित विद्वान है कि एक सांठगांठ ए है। श्रीनिवास राजू मंटेना और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच और इसकी विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि ईडी ने ऐसी सामग्री एकत्र की थी जो प्रत्यर्थी नंबर 1 और श्रीनिवास राजू मंटेना के बीच सांठगांठ का संकेत देती है, जिसने धन शोधन के अपराधों को अंजाम दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी नंबर 1 को ईडी द्वारा तलब किया गया था, लेकिन आईओ के समक्ष पेश होने के बजाय, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक याचिका दायर की और अंतरिम राहत प्राप्त की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह ईडी के समक्ष पेश हुए और उनका बयान अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि दोनों अवसरों पर वह पूरी तरह से टालमटोल और असहयोग कर रहे थे और इसलिए, उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। 3.5 विद्वान एसजी द्वारा आगे यह प्रस्तुत विद्वान गया है कि जाँच के दौरान ईडी ने पाया है कि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने पिछले एक वर्ष में कई अवसरों पर मंटेना के लक्जरी विमान पर मुफ्त यात्राओं का लाभ उठाया था और आनंद लिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच के दौरान यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने अपने बेटे के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशी मुद्रा को प्रायोजित करने जैसे श्रीनिवास राजू मंटेना से अन्य संरक्षण का भी लाभ उठाया था।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया है, जो संबंधित समय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे।

3.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त निर्णय के साथ-साथ पी. चिदंबरम बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना।

प्रवर्तन निदेशालय; (2019) 9 एस. सी. सी. 24 के साथ-साथ वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई; (2013) 7 एससीसी

439 , यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अपास्त करना कर दिया जाए।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजय अग्रवाल ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

4.1 प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

4.2 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में जहां तक मुख्य प्राथमिकी का संबंध है, अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है /

अनुमति दे दी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि व्यक्ति को अंततः अनुसूचित अपराध से मुक्त कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामले को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो उसके या ऐसी संपत्ति का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन का कोई अपराध नहीं हो सकता है, जो उसके माध्यम से बताए गए अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति है।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 को भी अनुसूचित अपराधों के लिए प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया था।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2002 के तहत अपराध विधेय अपराध पर निर्भर है जो आई. पी. सी. के प्रावधानों सहित सामान्य कानून होगा। इसने प्रस्तुत किया कि इसलिए, जैसा कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को विधेय अपराध/अनुसूची अपराध के लिए बरी/आरोपमुक्त कर दिया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिनियम, 2002/धन शोधन के तहत किसी भी अपराध का कोई सवाल ही नहीं है।

4.5 प्रत्यर्थी नं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने निकेश ताराचंद शाह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन किया है, वह कानून जो प्रासंगिक समय में प्रचलित था।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ. वी. सी. मोहन (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के संभावित अधिमूल्यांकन को, संबंधित समय पर प्रचलित निर्णय/कानून के आधार पर अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है।

4.7 प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देते समय ठोस कारण दिए गए हैं और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जांच में सहयोग किया है और आई. ओ./ई. डी. के समक्ष दो बार पहले पेश हुआ है, अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और ए के तहत धन शोधन के अपराध के लिए ईडी द्वारा शिकायत/मामले के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका कर रहा है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय। एफ. आई. आर. नं. 12/2019 के संबंध में निर्धारित अपराध के लिए प्रत्यर्थी नं. 1 के खिलाफ जांच चल रही है। एक बार जब अधिनियम, 2002 के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ जांच/जांच चल रही है, तो अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता आकर्षित होगी। अधिनियम, 2002 की धारा 45 निम्नानुसार है:-

“45. संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराध।—

(1) [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [इस अधिनियम के तहत] अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

((i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

((ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या एक महिला है, या बीमार है या कमजोर है [या अपने दम पर या एक करोड़ रुपये से कम की राशि के धन शोधन के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अभियुक्त है], को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है:

बशर्ते कि विशेष न्यायालय द्वारा लिखित में की गई शिकायत के अलावा धारा 4 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

((i) निदेशक; या

((ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

[(1-क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो।

किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाएं।]

(2) [* * *] उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा है।”

5.1 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 के प्रावधान धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत आवेदनों/कार्यवाही के संबंध में लागू नहीं होंगे।

निकेश ताराचंद शाह (ऊपर) का मामला।डॉ. वी. सी. के मामले में

मोहन (ऊपर), इस न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि यह गलत समझ है कि निकेश ताराचंद शाह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर लागू नहीं होगी। पीसी। डॉ. वी. सी. मोहन (उपर्युक्त) के मामले में जिसमें इस न्यायालय का निर्णय निकेश ताराचंद शाह (ऊपर) के मामले में सेवा में लगाया गया था, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि यह कहना एक बात है कि सामान्य कानून के तहत अपराधों के लिए अधिनियम, 2002 की धारा 45 आकर्षित नहीं होगी, लेकिन एक बार अधिनियम, 2002 के तहत अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध किए जाने के बाद, अधिनियम की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को शुरू किया जाना चाहिए-हालांकि आवेदन धारा 438 Cr.PC के तहत है। इसलिए, उच्च

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 के प्रावधान धारा 438 Cr.PC के तहत एक आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे, डॉ. वी. सी. मोहन (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के बिल्कुल विपरीत है और यह की गई टिप्पणियों की गलतफहमी पर है।

निकेश ताराचंद शाह (ऊपर) के मामले में एक बार कठोरता कम हो जाए तो अधिनियम, 2002 की धारा 45 लागू होगी और प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अस्थिर है।

6. अन्यथा गुण-दोष पर भी, प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश गलत और अस्थिर है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने धन शोधन के कथित अपराधों और अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के आरोपों की प्रकृति और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। प्रकृति की ओर देखना आरोपों के मामले में, यह कहा जा सकता है कि ये धन शोधन के बहुत गंभीर आरोप हैं जिनकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। जाँच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने श्रीनिवास राजू मंटेना से अनुचित लाभ उठाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 को जोड़ने वाली कुछ सामग्री एकत्र की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया है, जैसे कि वह आई. पी. सी. के तहत सामान्य अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत के अनुरोध पर विचार कर रहा था।

6.1 अब जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम अनुसूचित अपराध के संबंध में प्राथमिकी में नहीं लिया गया था और अन्य अभियुक्तों को बरी/बरी कर दिया गया है, केवल इसलिए कि अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ जांच जारी नहीं रखने का आधार नहीं हो सकता है। अनुसूचित अपराधों के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ जांच चल रही है। इसलिए, इस स्तर पर जांच/जांच ही पर्याप्त है।

6.2 अग्रिम जमानत देते समय, उच्च न्यायालय के साथ क्या विचार किया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा क्या अवलोकन किया जाता है, वह इस प्रकार है:- “उपरोक्त कानूनी स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन और मामले की परिस्थितियों के आलोक में, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रथम प्रत्यर्थी को अपराध करने में याची की संलिप्तता के बारे में संदेह है और उसे प्रकटीकरण के लिए बुलाया जा रहा है और किसी भी सामग्री का खुलासा न करने की स्थिति में, असहयोग के बहाने, प्रथम प्रत्यर्थी उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ सकता है। याची लगभग 60 वर्ष की आयु का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है और हैदराबाद का स्थायी निवासी है, इसके अलावा, जांच का बड़ा हिस्सा आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के संबंध में पूरा कर लिया गया है, जिन्हें पहले ही जब्त कर लिया गया है। इसलिए, इस स्तर पर जांच में छेड़छाड़ की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसा कि याची के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही बताया है कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पहले ही एक आपराधिक मामला दर्ज विद्वान जा चुका है और यह भोपाल में विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है।”

6.3 उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और कथित अपराधों की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। इस न्यायालय के निर्णय के आधार के अनुसार, विशेष रूप से, पी. चिदंबरम (उपरोक्त) के मामले में आर्थिक अपराधों के मामले में देखा गया, जिनका आर्थिक अपराधों पर प्रभाव पड़ रहा है। समाज, न्यायालय को Cr.PC की धारा 438 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने में बहुत धीमी गति से होना चाहिए।

7. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता धारा 438 के तहत आवेदन के संबंध में भी लागू होगी और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश। ईसीआईआर/एचवाईजेडओ/36/2020 दिनांकित 15.12.2020 अस्थिर है। नतीजतन, प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए। हालांकि, यह देखा गया है और स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को गिरफ्तार किए जाने के बाद, यदि वह कोई नियमित जमानत आवेदन दायर करता है, तो उस पर कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर और मामले की जांच/जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार किया जाए। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)